

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4245/2026

1. Shivraj S/o Bhagwanlal Bairwa, Aged About 23 Years,
Kanvakheda Kachhi Basti, Police Station-Kotwali, District-
Bhilwara, Rajasthan (Lodged In Dist. Jail Bhilwara)
2. Narayan S/o Nandlal Bairwa, Aged About 21 Years,
Shivnagar Siddarias, Police Station Sadar, District
Bhilwara, Rajasthan (Lodged In Dist. Jail Bhilwara)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Naman Mohnot

For Respondent(s) : Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

21/04/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना सुभाषनगर, जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 49/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 308(2), 308(5), 61(2), 111(2)(बी), 111(3)(4)(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 67ए आई. टी. एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण लंबे समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। सह-अभियुक्तगण की जमानत दिनांक 23.03.2026 को हो चुकी है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का मामला सह-अभियुक्तगण के समान होना बताया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में सह-अभियुक्तगण की जमानत दिनांक 23.03.2026 को हो चुकी है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का मामला सह-अभियुक्तगण के समान होना बताया गया है।
06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
07. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. शिवराज पुत्र भगवानलाल बैरवा तथा 2. नारायण पुत्र नंदलाल बैरवा** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J